

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक— 2498 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/115789/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 02, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:-

जनपद शाहजहाँपुर में बरेली मोड़- पक्कापुल चैनेज 0.00 बरेली मोड़- पिपरोल अहमदपुर एस०एच० 29 चैनेज 489.00 से 473.00 तथा पक्कापुल से मेजवान हॉटल चैनेज 328.130 से 330.130 तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लि० द्वारा भूमिगत गैस पाईप लाईन डाले जाने में प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं०- FP/UP/Pipeline/115789/2020

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी०-85/81-2-2021-800(98)/2021, दिनांक-04.08.2021
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक-1607/14-1 दिनांक 17.12.2021 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 2498 / 11-सी-FP/UP/Pipeline/115789/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, शाहजहाँपुर।
- 3- प्रबन्धक, परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का० लि० शाहजहाँपुर।

o/c

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।